ख
न

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जारी सुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.7.23 को ता फैसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है। दावा की पत्रावली मा० राजस्व मण्डल में रेफरेन्स में गई है। पत्रावली लौटने पर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

[signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर (भरतुपर)

पीठासीन अधिकारी– सचिन यादव (आर.ए.एस), उपखण्ड अधिकारी, वैर

मु.नं.– 38/23

उनवान–

1. रामकरन पुत्र श्री नारायन जाति मीना निवासी ग्राम वाई तह वैर
2. रामकरन पुत्र श्री मूला जाति मीना निवासी ग्राम वाई तह वैर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गनपत पुत्र जंगली जाति ब्राह्मण नि0 वाई तह वैर
2. रमेश पुत्र जंगली जाति ब्राह्मण नि0 वाई तह वैर
3. रामनिवास पुत्र जंगली जाति ब्राह्मण नि0 वाई तह वैर
4. नरेन्द्र पुत्र स्व. टीकमचन्द जाति ब्राह्मण नि0 वाई हाल निवासी हल्कजिम के पास गली नंत्र 3, माधव कॉलोनी मदार अजमेर
5. पुरूषोत्तम पुत्र स्व. टीकमचन्द जाति ब्राह्मण नि0 वाई हाल निवासी हल्कजिम के पास गली नंत्र 3, माधव कॉलोनी मदार अजमेर
6. गीता पत्नि स्व. टीकमचन्द जाति ब्राह्मण नि0 वाई हाल निवासी हल्कजिम के पास गली नंत्र 3, माधव कॉलोनी मदार अजमेर
7. अर्चना पुत्र स्व. टीकमचन्द जाति ब्राह्मण नि0 वाई हाल निवासी हल्कजिम के पास गली नंत्र 3, माधव कॉलोनी मदार अजमेर
8. देवी सिंह पुत्र रामचरन जाति जाट नि0 वाई तह वैर हाल निवासी सारस चौराहा नियर किरन विला होटल विजय नगर कॉलोनी भरतपुर।
9. ललित कुमार पुत्र बनैसिंह जाति जाट नि. वाई तह वैर हाल निवासी सारस चौराहा नियर किरन विला होटल विजय नगर कॉलोनी भरतपुर।
10. मंजू देवी पत्नि बनैसिंह जाति जाट नि. वाई तह वैर हाल निवासी सारस चौराहा नियर किरन विला होटल विजय नगर कॉलोनी भरतपुर।
11. आरती पुत्री बनैसिंह जाति जाट नि. वाई तह वैर हाल निवासी सारस चौराहा नियर किरन विला होटल विजय नगर कॉलोनी भरतपुर।
12. विजयसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट नि0 ग्राम वाई तह वैर भरतपुर।
13. समन्दरसिंह पुत्र रामचरन जाति जाट नि. वाई तह वैर भरतपुर
14. राजेन्द्र सिंह पुत्र राचरन जाति जाट नि. वाई तह वैर हाल निवासी अनिरूद्व नगर नियर संत कृपाल स्कूल भरतपुर।
15. भगवती पुत्र रामचरन पत्नी राजेन्द्र जाति जाट नि. वाई तह वैर हाल निवासी हतीजर तह वैर
16. सुनीता पुत्री रामचरन पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी वाई तह वैर हाल नि. ग्राम हतीजर तह वैर।
17. पुष्पेन्द्र पुत्र स्व. जलसिंह जाति जाट निवासी वाई तह वैर
18. दौलत पुत्र स्व. जलसिंह जाति जाट निवासी वाई तह वैर
19. हरकला पत्नी पुत्र स्व. जलसिंह जाति जाट नि. वाई तह वैर
20. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्ड़र तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

उप जिला कलक्टर
वैर (भरतपुर) राज.

21\. रामजीलाल(मृतक)

21/1 रूकमणी पत्नी रामजीलाल जाति मीणा नि.वाई तह वैर
21/2 नरेश पुत्र रामजीलाल जाति मीणा नि.वाई तह वैर
21/3 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति मीणा नि.वाई तह वैर
21/4 दिनेश पुत्र रामजीलाल जाति मीणा नि.वाई तह वैर
21/5 राजेश पुत्र रामजीलाल जाति मीणा नि.वाई तह वैर
21/6 उर्मिला पुत्री रामजीलाल जाति मीणा नि.वाई तह वैर
21/7 ओमवती पुत्री रामजीलाल जाति मीणा नि.वाई तह वैर

अप्रार्थीगण

वकील– प्रार्थी – श्री पूरनचन्द धाकड़ एडवोकेट
अप्रार्थी– बृजकिशोर धाकड़ एडवोकेट
हरीश भारद्वाज एडवोकेट
राजेश मीणा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 212 आरटीए.

निर्णय दिनांकः– 09.07.2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी सायल की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि हाल ख0नं0 66 रकबा 0.2200 हैक्ट0 व 67 रकबा 0.5000 हैक्ट0 वाके ग्राम वाई तह वैर जिला भरतपुर में स्थित है। आ.ख.नं. 66 रकबा रकबा 0.2200 हैक्ट0 के सालिम भाग का प्रार्थी सं. 1 तथा ख0नं0 67 रकबा 0.5000 हैक्ट0 में से 1/2 भाग का प्रार्थी संख्या 2 व 1/2 भाग का तरतीवी अप्रार्थीगण संख्या 21 खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ अपनी खातेदारी के उपरोक्त खसरा नं0 व अन्य ख.नं. एवं प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है। प्रार्थी सं. 01 के अपनी खातेदारी के ख.नं. 66 में एवं प्रार्थी सं. 2 ने अपनी खातेदारी के ख.नं. 67 में नजरी नक्शा में दर्शित पृथक–पृथक स्थान पर अपनी कृषि उपज एवं कृषि यंत्रों को रखने व पशुओं को बांधने इत्यादि के लिए पक्का व पुख्ता निर्माण कर रखा है। प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 21 के खातेदारी के ख.नं. 66 व 67 के तरफ पूर्व में असल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के खातेदारी का ख.नं. 68 रकबा 0.4900 हैक्ट. व असल अप्रार्थीगण सं. 8 लगायत 19 की खातेदारी का ख.नं. 71 रकबा 0.2000 हैक्ट वाके ग्राम वाई तह वैर जिला भरतपुर में स्थित है तथा ख.नं. 68 व 71 के तरफ पूर्व में ग्राम पंचायत मूडिया ललिता पं.स. वैर जिला भरतपुर द्वारा ग्राम वाई में सामुदायिक भवन का निर्माण व हैण्ड पम्प लगवाया गया है व सामुदायिक भवन के पास में होकर गांव वाई तह वैर की आवादी से बाबू, भीम व रामनिवास मीना की मकानियत व गैतवाड़े के लिए कच्चा रास्ता मौके पर स्थित है। उक्त रास्ता में होकर ग्रामवासीव प्रार्थीगण एवं अन्य खेतीहर व्यक्ति व उनके कृषि कार्य में काम आने वाले साधन आते जाते है। गांव वाई की आबादी से सामुदायिक भवन के तरफ पूर्व में होकर बाबू, रामनिवास मीना वगैरा की मकानियत तक जाने वाले रास्ता को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाता गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 66 व 67 के चारों तरफ कोई भी रिकार्डेड व मौके पर रास्ता आम सटा हुआ नहीं है तथा कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण

उप जिला कलक्टर

व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 21 के द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर आने जाने, कृषि उपज एवं कृषि एवं कृषि यंत्रों जैसे ट्रेक्टर, ट्रॉली इत्यादि को लाने व ले जाने के लिए ग्राम वाई तहसील वैर की आबादी व सामुदायिक भवन के पास स्थित रास्ते के तरफ पश्चिम की ओर ख0नं0 68 में होकर आगे चलकर 68 व 71 वाके ग्राम वाई तह0 वैर की मध्य मेड़ व मध्य मेड़ के दोनों तरफ उपरोक्त दोनों खसरा नं0 की भूमि में होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में रंग सुर्ख से दर्शित प्रस्तावित रास्ता वाले स्थान पर होते हुए अपनी खातेदारी का उपयोग उपभोग काफी समय पूर्व से ही करते चले आ रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी का उपयोग करने के लिए अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए नजरी नक्शा में प्रदर्शित रंग सुर्ख से प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आराजी के लिए आवागमन हेतु अत्यातिक आवश्यक है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बिना कोई कारण के अपनी खातेदारी के ख0नं0 68 व 71 में से आवागमन को रोक कर प्रस्तावित रास्ता में आये दिन कोई न कोई अवरोध पैदा करते रहते है और प्रार्थीगण को अपनी आराजी का सही तरीके से उपयोग उपभोग नहीं करने देते है जिसके कारण प्रार्थीगण को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और प्रार्थीगण की कृषि भूमि की जुताई बुवाई भी नहीं हो पाती है और फसल की हानि उठानी पड़ती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की आराजी का उपयोग उपभोग करने, कृषि वाहन, कृषि उपज, चारा व पशुओं को लाने ले जाने इत्यादि के लिए असल अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 68 व 71 में होकर 5 मी0 चौड़ाई एवं रिकार्ड में दर्ज लम्बाई में प्रस्तावित रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से यथास्थान पर दर्शित किया गया है को रास्ता कायम कर राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना अति आवश्यक है। दिनांक 23.03.2023 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी में पैदा हुई उपज को ट्रेक्टर ट्रॉली में लादकर कृषि उपज को विक्रय करने हेतु ट्रेक्टर ट्रॉली को प्रस्तावित रास्ता में निकाल कर ले जा रहा था तो असल अप्रार्थीगण ने नहीं निकलने दिया और धमकी दी कि प्रस्तावित रास्ता में नींव खोदकर पुख्ता दीवार तीव्र गति से बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये बना देंगें जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं हो रहा है और प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति हो रही है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना लाना लाजिमी हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0नं0 66 व 67 के लिए आ0ख0नं0 68 व 71 वाके ग्राम वाई तहसील वैर जिला भरतपुर में होकर नजरी नक्शा में प्रदर्शित प्रस्तावित रास्ता 5 मी0 चौड़ाई व रिकार्ड में दर्ज लम्बाई में रास्ता आम की भूमि मंजूर कर प्रार्थीगण से नियमानुसार रास्ता की भूमि का प्रतिकर (राशि) जमा करवा कर राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज कर व नक्शासीट सन 2005 में तरमीम करवाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 21 के उक्त प्रार्थना पत्र में समान हक व अधिकार है उसके विरूद्ध कोई भी दादरसी नहीं चाही गई है। आ0ख0नं0 68 के सह खातेदार टीकम पुत्र जगली व कलावती पत्नी जगली ब्राह्मण निवासी वाई तह0 वैर एवं आ0ख0नं0 71 के सह खातेदार प्रेम पत्नी रामचरन जाट, जलसिंह पुत्र प्रभाती जाट, बनेसिंह पुत्र रामचरन जाट निवासी ग्राम वाई तह0 वैर जिला भरतपुर फौत हो चुके है जिनके समस्त विधिक वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

उप जिला कलेक्टर
वैर (भरतपुर) राज.

प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैर प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम वाई तह0 वैर की आबादी व सामुदायिक भवन के पूर्व में होकर बाबू रामनिवास मीना वगै0 के मकानियत तक जाने वाले रास्ता से आ.ख.नं. 68 रकबा 0.4900 हैक्ट0 व 71 रकबा 0.2000 हैक्ट वाके ग्राम वाई तह वैर में होकर 5 मी0 चौडाई व रिकार्ड में दर्ज लम्बाई में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 66 व 67 तक जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से प्रदर्शित किया गया है में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नही करें तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें एवं आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन व वय मुनतकिल नही करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 की ओर से श्री बृजकिशोर धाकड़ एडवोकेट एवं तरतीवी अप्रार्थी संख्या 21 की ओर से श्री राजेश मीणा उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री हरीश भारद्वाज एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर जबाव प्रस्तुत किया गया कि आ.ख.नं 68 रकबा 0.4900 हैक्ट0 व 71 रकबा 0.2000 हैक्ट वाके ग्राम वाई तह वैर में स्थित आराजी अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उपरोक्त ख.नं. में रबी, खरीफ की फसल बोई जाती है जिसमें होकर कोई रास्ता स्थित नही हैं आ.ख.नं 68 व 71 वाके ग्राम वाई तह वैर स्थित आराजी ख.नं. 69, 73, 86 सटी हुई आराजी है। उपरोक्त ख0नं0 में होकर कोई रिकार्डेड रास्ता आम स्थित नही है बल्कि आराजी ख.नं. 69 गैर मुमकिन चाह जो पूरन, हीरा की खातेदारी में तथा ख.नं0 73 गैर मुमकिन नाला है तथा ख0नं0 86 शिब्बू की खातेदारी का रकबा है। उपरोक्त ख0नं0 के किसी भी हिस्से में रिकार्डेड रास्ता आम स्थित नही है इसलिए प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का कथित सम्पूर्ण कथन वर्तमान राजस्व रिकार्ड से सुमेलित नही होते है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित आराजी ख0नं0 66 व 67 में कोई काश्त नहीं है बल्कि उपरोक्त ख0नं0 में पुख्ता मकानियत बनी हुई है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 ए के अभिप्राय में प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित प्रस्तावित रास्ता पुख्ता मकानियत के लिए दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा में तथाकथित प्रस्तावित रास्ता किस ख0नं. में होकर कितनी कितनी लम्बाई में स्थित है तथा किन किन ख.नं का कितना कितना रकबा नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते में किस खातेदार की खातेदारी है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी संख्या 21 की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया कि आ0ख0नं0 66 रकबा 0.22 हैक्ट0 व 67 रकबा 0.5000 हैक्ट0 वाके ग्राम वाई तह वैर में स्थित होना एवं आराजी ख0नं0 67 रकबा 0.5000 हैक्ट0 में से प्रार्थी संख्या 2, 1/2 भाग का व तरतीवी अप्रार्थी सं. 21 खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है जिसमें प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के ख.नं. 67 में नजरी नक्शा में दर्शित पृथक-पृथक स्थान पर अपनी कृषि उपज व कृषि यंत्रों को रखने व पशुओं को बांधने इत्यादि के लिए पुख्या निर्माण कर रखा है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख.नं. 66 व 67 के चारों तरफ कोई भी रिकार्डेड व मौके पर

उप जिला कलक्टर
वैर (भरतपुर) राज.

रास्ता आम सटा हुआ नही है तथा कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी सं. 21 के द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्रों जैसे ट्रेक्टर, ट्रॉली इत्यादि को लाने ले जाने के लिए ग्राम वाई तह वैर की आबादी व सामुदायिक भवन के पास स्थित रास्ते से तरफ पश्चिम की ओर ख.नं. 68 में होकर आगे चलकर 68 व 71 वाके ग्राम वाई तह वैर की मध्य मैड के दोनों तरफ उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान की भूमि में होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में रंग सुर्ख से दर्शित प्रस्तावित रास्ता वाले स्थान पर होते हुए अपनी खातेदारी उपयोग व उपभोग काफी समय पूर्व से ही करते चले आ रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी का उपभोग करने के लिए अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए नजरी नक्शा में प्रदर्शित रंग सुर्ख से प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आराजी के लिए आवागमन हेतु अत्यधिक आवश्यक है। असल अप्रार्थीगण को बिना कोई कारण के अपनी खातेदारी के ख0नं0 68 व 71 में से अवागमन हेतु अत्यांतिक आवश्यक है।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं वकील प्रतिवादीगणों द्वारा अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकुलाय पक्षकारान की बहस का मनन किया गया। पृथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादी सायल के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद कन्फर्म की जाती है कि विवादित अ0.ख.नं. 68 रकबा 0.4900 हैक्ट0 व 71 रकबा 0.2000 हैक्ट वाके ग्राम वाई तह वैर जिला भरतपुर में रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फेसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
वैर (भरतपुर) राज.

File No.

डुप्लीकेट पर्चा

Name

Address

Subject

From To

Record File

No. 3500

Pooja®

OFFICE FILE